पत्रांक 8/शि० पु० 09–03/2012 ......05...

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

आर० के० महाजन
प्रधान सचिव।

सेवा मे,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना

सचिव, बिहार मदरसा बोर्ड, पटना

पटना, दिनांक..17./..02../2017

विषयः— **राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2016 के लिए शिक्षकों के नाम अनुशंसित कर भेजने के संबंध में।**

प्रसंगः— निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक F.1-4/2016 NAT दिनांक 11.01.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि वर्ष 2016 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु शिक्षक/शिक्षिकाओं के नाम अनुशंसित कर भारत सरकार को भेजना है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शिक्षक/शिक्षिकाओं के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जिला अनुशंसा समिति से शिक्षक/शिक्षिकाओं के नाम चयनित कर दिनांक 31.03.2017 तक निश्चित रूप से अनुशंसाएँ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक (+2विद्यालय) स्तर के विद्यालय का निदेशक, (मा० शि०), शिक्षा विभाग, बिहार, विकास भवन, पटना को विशेष दूत द्वारा भेजें। निर्धारित तिथि के बाद अनुशंसाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी।

2. चयन के लिए भारत सरकार के पत्रांक नं० F.1-4/2016 NAT दिनांक 11.01.2017 के द्वारा भेजे गये मार्ग निदेश (संलग्न) के आलोक में अनुशंसाएँ संलग्न प्रपत्र में संबंधित सूचनाएँ सहित भेजी जाय। अनुशंसाएँ हर हालत में संलग्न प्रपत्र में ही होनी चाहिए। प्रपत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं होनी चाहिए अन्यथा इसे अधूरा मानकर अस्वीकृत कर दिया जा सकता है। प्रपत्र में जो सूचनाएँ अंकित हों उनके समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किए जायें।

3. निम्नलिखित कोटि के विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिकाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा :–

(i) सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं,

(ii) परम्परागत रूपरेखा के आधार पर चलाये जा रहे संस्कृत पाठशालाओं के शिक्षक/शिक्षिकाओं,

(iii) अब तक पराम्परागत रूपरेखा के आधार पर चलाये जा रहे मदरसों के अरबी/फारसी शिक्षक/शिक्षिकाओं,

(iv) सी०बी०एस०ई० से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं,

(v) सी०आई०एस०सी०ई० से मान्यता प्राप्त विद्यालय जो माध्यमिक एवं +2 स्तर हैं, के शिक्षक/शिक्षिकाओं,

(vi) सी०टी०एस०ए० से मान्यता प्राप्त विद्यालय जो माध्यमिक एवं +2 स्तर हैं, के शिक्षक/शिक्षिकाओं,

(vii) अन्य विद्यालय पद्धतियों तथा सरकार द्वारा संचालित नियमित विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिकाएँ जो विकलांग बच्चों का शिक्षा संवर्धन करते हैं।

4. जिला स्तर पर नीचे अंकित पदाधिकारी की एक समिति होगी जो योग्य शिक्षक/शिक्षिकाओं की अनुशंसा कर मुख्यालय को भेजेगी।

(i)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	– संयोजक
(ii)	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)	– सदस्य
(iii)	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के एक प्राचार्य	– सदस्य
(iv)	माध्यमिक विद्यालय के एक प्राचार्य	– सदस्य

उपर्युक्त समिति की बैठक में संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेंगे और शिक्षक/शिक्षिकाओं की अनुशंसा उनके परामर्श से की जाएगी।

5. शिक्षक/शिक्षिकाओं की अनुशंसा (पैनेल) तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय :–

(a) प्रपत्र का प्रत्येक कॉलम भरा जाय। शैक्षणिक योग्यता संबंधी कॉलम मैट्रिक या मैट्रिक समकक्ष एवं अन्य योग्यताओं का पूर्ण विवरण श्रेणी के साथ अंकित होना चाहिए। कॉलम में अंकित सूचना से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाय, जो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से अभिप्रमाणित हो।

(b) वैसे ही शिक्षक/शिक्षिकाओं के नाम की अनुशंसा की जाय जिनकी सेवा अभिलेख सर्वथा स्वच्छ एवं दोष रहित हो एवं सभी प्रकार के विवाद से परे हो। यदि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन शिक्षक/शिक्षिकाएँ हों तो, उनके विरुद्ध कोई आरोप, विभागीय जाँच, फौजदारी या अन्य कानूनी कार्रवाई लंबित नहीं हो, से संबंधित आशय का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर के साथ अनुशंसित शिक्षक/शिक्षिकाओं के अनुशंसा प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे :–

"Recommended teacher (name and address) has an absolutely clean record of service and faultless antecedents and that no enquiries or legal/criminal/vigilance proceedings of any kind/department or otherwise are pending against them."

स्वच्छता प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी से कनीय पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होना चाहिए।

(c) अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र में सुसज्जित फोल्डर्स के रूप में प्रत्येक शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए दो–दो प्रतियों में भेजी जाय।

(d) (i) प्रत्येक जिला से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के दो शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के नामों की अनुशंसा की जाय।

(ii) परम्परागत संस्कृत पाठशाला तथा टोल्स विद्यालय के संस्कृत शिक्षक/शिक्षिकाओं की अनुशंसा सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना एवं परम्परागत मदरसा के अरबी/फारसी के शिक्षक/शिक्षिकाओं के लिए अनुशंसा सचिव, मदरसा बोर्ड, बिहार, पटना से प्रत्येक जिला के लिए एक से अधिक की अनुशंसा नहीं की जाय (प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाएँ)।

(iii) इसके अलावे अन्य विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अनुशंसा प्रत्येक जिला से एक–एक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का किया जाय।

(e) माध्यमिक/इंटर परीक्षा या उनके समकक्ष परीक्षा से संबंधित पाँच वर्षों का पूरा विवरण दिया जाय अर्थात् प्रति वर्ष कितने छात्र/छात्रा परीक्षा में शामिल हुए कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता का प्रतिशत क्या था, आदि की स्पष्ट सूचना दी जाय।

(f) इसके अतिरिक्त वर्ग अष्टम के परीक्षाफल के अन्तर्गत कितने छात्र नामांकित हुए थे और कितने परीक्षा दिये, उनके ग्रेड के अनुसार परीक्षाफल अंकित किया जाय। जिला स्तर पर आपके विद्यालय से यदि कोई छात्र/छात्रा प्रथम तीन से कोई स्थान या तीनों स्थान प्राप्त किये हों तो उसकी सूचना अंकित करें।

(g) महिला शिक्षक एवं शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं को अनुशंसा में प्राथमिकता दिया जाए बशर्ते कि वे अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो।

(h) 5 सितम्बर को प्रतिवर्ष राज्य सरकार के स्तर पर शिक्षक दिवस समारोह आयोजन किया जाता है। उक्त समारोह में राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को चयनित करने हेतु शिक्षण अनुभव की न्यूनतम अवधि 7 वर्ष निर्धारित करते हुए वैसे शिक्षक जिनकी सेवा अभिलेख सर्वथा स्वच्छ एवं दोष रहित हो, की अनुशंसा जिला द्वारा किया जाना है। राज्य पुरस्कार की अनुशंसा के क्रम में महिला शिक्षकों की भागीदारी 50 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। राज्य पुरस्कार के लिए नियोजित शिक्षक भी योग्य होंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अनुशंसित शिक्षक भी राज्य पुरस्कार के लिए योग्य माने जायेगें। राज्य पुरस्कार के लिए प्रत्येक जिला से माध्यमिक विद्यालय एवं (+2 विद्यालय) के दो शिक्षकों के नामों की अनुशंसा की जाय।

(i) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षक/शिक्षिकाओं की योग्यता उपलब्ध रहने पर उनकी अनुशंसा करने में विशेष ध्यान दें।

(j) प्रपत्र में शिक्षक/शिक्षिकाओं का कुल शिक्षण सेवाकाल, सेवा निवृत्ति की तिथि एवं सेवावृद्धि निश्चित रूप से अंकित की जाय।

6. किसी भी शिक्षक से न तो आवेदन पत्र प्राप्त किया जाय और न उनसे प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर चयन किया जाय बल्कि चयन कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही किया जाय।

7. प्रत्येक फोल्डर के प्रथम पृष्ठ के दाहिने ओर ऊपर के कोने में अभ्यर्थी का हाल का पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ चिपका होना चाहिए। साथ ही, उसी प्रकार का दूसरा फोटोग्राफ एक लिफाफे में अनुशंसा के साथ संलग्न होना चाहिए। लिफाफे में रक्षित अभ्यर्थी के फोटोग्राफ पर राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा पीठ पर (पीछे) अभिप्रमाणित होना चाहिए।

8. प्रत्येक अनुशंसित शिक्षकों का आधार कार्ड की प्रति एवं संलग्न प्रपत्र में Bank details/ Mandate Form भरकर संबंधित फोल्डर के साथ संलग्न होना चाहिए।

9. अनुशंसित शिक्षकों के संबंध में 150 शब्दों में उनके कार्यों की व्याख्या कर एक टिप्पणी (साईटेशन) भेजी जाय ताकि उसे संबंधित शिक्षक का प्रशंसा पत्र मानते हुए शिक्षक का मूल्यांकन किया जा सके।

10. संयोजक, जिला चयन समिति यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे कि अनुशंसा दिनांक 31.03.2017 तक निश्चित रूप से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, विकास भवन, पटना को प्राप्त हो जाय। इस तिथि के बाद प्राप्त अनुशंसा अथवा शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा सीधे भेजे गए किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन

16/1/17

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव।

शिक्षक पुरस्कार हेतु

(प्रा0)

1. (क) सामान्य शिक्षकों के लिए

   (i) (क) शिक्षक का नामः–

   (ख) पदनाम एवं विद्यालय का पता (पिन कोड, दूरभाष एवं मोबाईल सहित)

   (ii) (क) लिंग – महिला / पुरूष (ख) विवाहित / अविवाहित

   (iii) अनुसूचित जाति / जनजाति

   (ख) विशेष कोटि पुरस्कार हेतु

   (सामान्य विद्यालय के शिक्षक जो समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विकलांग छात्रों के लिए / शिक्षा प्रसार के लिए विशेष कार्य करते हों।)

   (i) शिक्षक का नामः–

   (ii) शिक्षक विकलांग है या नहीं

   (iii) यदि विकलांग है तो विकलांग का प्रकार एवं हिप्रतिशत् का प्रमाण–पत्र के साथ।

   (iv) अनुसुचित जाति / जनजाति

   (v) विकलांग छात्रों की शिक्षा के लिए विशिष्ट मार्य प्रमाण पत्र के साथ (समेकित शिक्षा के अन्तर्ग)

   (vi) शिक्षा के प्रसार एवं प्रसार के लिए विशिष्ट कार्य प्रमाण पत्र के साथ।

2. (क) जन्म तिथि

   (मैट्रिक परीक्षा तथा अन्य के प्रमाण पत्र एवं प्राप्तांक संलग्न करें)

   (ख) वर्त्तमान उम्र

3. (क) नियुक्ति तिथि (नियुक्ति पत्र की प्रति संलग्न करें)

   (ख) नियुक्ति किस पद पर हुई थी

   (ग) वर्त्तमान में किसपद पर कार्यरत है

   (ध) गैर शिक्षक पद पर कार्य किये हों तो, पद एवं अवधि (प्रमाण पत्र के साथ)

4. आवासीय पता– (पिन कोड, दुरभाष एवं मोवाईल के साथ)

   (क) वर्त्तमान पता :–

   (ख) स्थायी पता :–

5 किस श्रेणी (स्तर) के शिक्षक हैं प्राथमिक / उच्च प्राथमिक (मध्य) विद्यालय

6. (क) सेवा निवृत्ति की तिथि :–

(ख) यदि सेवानिवृत्त हो तो क्या सेवा वृद्धि हुई है, आदेश संलग्न करें।

7. योग्यता

(क) शैक्षणिक योग्यता :–

क्र0	परीक्षा का नाम	संस्था / विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक का प्रतिशत	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	मैट्रिक / मध्यमा / फौकानियाँ अथवा समतुल्य					
2	इन्टर / उप शास्त्री / मालवी अथवा समतुल्य					
3	स्नातक / शास्त्री / आलिम अथवा समतुल्य					
4	स्नातकोत्तर / आचार्य / फाजिल अथवा समतुल्य					
5	पी0एच0डी0					

(ख) प्रशिक्षण

क्रमांक	परीक्षा का नाम	परीक्षा संस्था / विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक का प्रतिशत	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	दो वर्षीय प्रशिक्षण					
2	बी0एड0					
3	एम0एड0					

(ग) अन्य

क्रमांक	परीक्षा का नाम	संस्था / विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक का प्रतिशत	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1						

नोट :– जो परीक्षा उत्तीर्ण किये प्रत्येक से संबंधित प्रमाण पत्र एवं पत्र की प्रति प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न करें।

(I) संस्था में कुल छात्र की संख्या (वर्गानुसार)

कुल छात्रों में विकलांग छात्रों की संख्या (वर्गानुसार)

(II) कुल कितने प्रतिशत पढ़ना छोड़ दिये

(वर्गानुसार विगत तीन वर्षों का आकड़ा दे)

(III) वर्ग पंचम का परीक्षाफल (विगत तीन वर्षो)

(क) नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या

(ख) परीक्षा में सम्मिलित छात्र–छात्राओं की संख्या

(ग) परीक्षाफल ग्रेड के अनुसार संख्या

(ध) प्रखंड/जिला स्तर पर प्रथम तीन स्थान में कोई स्थान आपके विद्यालय के छात्र/छात्राओं को मिला हो तो उसका विवरण।

(IV) वर्ग अष्टम का परीक्षाफल (विगत तीन वर्षो)

(क) नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या

(ख) परीक्षा में सम्मिलित छात्र–छात्राओं की संख्या

(ग) परीक्षाफल ग्रेड के अनुसार संख्या

(ध) जिला स्तर पर प्रथम तीन स्थान में कोई स्थान मिली हो तो उसका विवरण।

(V) कितन छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृति/नवोदय/नेतरहाट/इन्दिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग/सैनिक स्कूल एवं राज्य छात्रवृत्ति के लिए चयनित हुए।

(VI) शिक्षक का जो विषय है उस विषय में पंचम एवं अष्टम वर्ग के परीक्षा का प्रतिशत्।

(VII) शिक्षक का जो विषय है उस विषय में कितने पंचम एवं अष्टम वर्ग में कितने प्रतिशत् छात्र प्रथम श्रेणी/ग्रेड 'ए' से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।

(VIII) विद्यालय का कुल पंचम एवं अष्टम वर्ग के परीक्षाफल का प्रतिशत

(IX) विद्यालय के कुल परीक्षाफल में कितने प्रतिशत् छात्रायें उत्तीर्ण हुई हैं। (विगत तीन वर्षो का)

(ग) शिक्षक के वर्त्तमान संस्था के पूर्व जिस संस्था में शिक्षण कार्य किये उस संस्थ के संबंध में निम्न विवरणी:-

गत संस्था का नाम

शिक्षक के गत संस्था में योगदान देने के पूर्व पांच वर्षो में से प्रत्येक वर्ष के आंकड़े औसत

वर्ष						औसत
	1	2	3	4	5	6
नामांकित छात्र/छात्राओ की संख्या						

8. (क) शिक्षण अनुभव (प्रारम्भ से अब तक)

क्र0	संस्था का नाम	संस्था का प्रबंधन (सरकारी/सहायता प्राप्त/अल्प संख्यक/(निजी)	प्राथमिक/मध्य/उच्च/+2विद्यालय/मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय	कुल नामांकन	किस तिथि से किस तिथि तक	कितने वर्ष एवं महीने	अध्यापन का विषय	किस वर्ग में	परीक्षाफल वार्षिक/बोर्ड परीक्षा	कोई अन्य ज़िम्मेदारियाँ शिक्षक द्वारा निभायी जाती हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

योग– वर्ष .... महिना.............................. दिन.......................

(ख) कुल अनुभव योगदान की तिथि से (प्रस्वीकृत विद्यालय में) कार्यरत अवधि के साथ (कब से कब तक)

अवधि

कब से

तक कब

शिक्षण

प्रशिक्षण

अन्य

कुल

(ग) प्राथमिक/मध्य विद्यालय में पिछले 5 साल के छीजन की स्थिति का विवरण दें तथा इस संबंध में कौन सा ठोस कार्य छीजन रोकन के लिए शिक्षक ने किया है। – विवरण दें

(ध) क्या कमजोर एवं मेधावी छात्र छात्राओं के लिये शिक्षक ने कोई विशेष कार्य बच्चों के लिये किया है तो विवरण दें।

9. वर्त्तमान संस्था/स्कूल/विद्यालय जिसमें कार्यरत हैं तथा उसके पूर्व जिस संस्था में कार्य किये दोनों के संबंध में निम्न प्रकार के विवरण दें:–

(1) वर्त्तमान संस्था के संबंध में:–

(क) संस्था का नाम :–

(ख) वर्त्तमान संस्था में शिक्षक के योगदान देने के बाद पांच वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के नामांकित छात्र के आंकड़े दें :–

वर्ष						औसत
	1	2	3	4	5	6
नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या						

(I) संस्था मे कुल छात्र की संख्या

कुल छात्रों में विकलांग छात्रों की संख्या

(I) कुल कितने प्रतिशत पढ़ना छोड़ दिये
(वर्गानुसार विगत तीन वर्षों का आंकड़ा दें)

(II) वर्ग पंचम का परीक्षाफल (विगत तीन वर्षो)

(क) नामांकित छात्र / छात्राओं की संख्या

(ख) परीक्षा में सम्मिलित छात्र–छात्राओं की संख्या

(ग) परीक्षाफल ग्रेड के अनुसार संख्या

(घ) प्रखंड / ज़िला स्तर परं प्रथम स्थान में कोई स्थान आपके विद्यालय के छात्र / छात्राओं को मिला हो तो उसका विवरण।

(III) वर्ग अष्टम का परीक्षाफल (विगत तीन वर्षो)

(क) नामांकित छात्र / छात्राओं की संख्या

(ख) परीक्षा में सम्मिलित छात्र–छात्राओं की संख्या

(ग) परीक्षाफल ग्रेड के अनुसार संख्या

(घ) जिला स्तर पर प्रथम तीन स्थान में कोई स्थान मिला हो तो उसका विवरण।

(IV) कितने छात्र / छात्रा को राष्ट्रीय छात्रवृति / नवोदय / नेतरहाट / इन्दिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग / सैनिक स्कूल एवं राज्य छात्रवृत्ति के लिए चयनित हुए।

(V) शिक्षक का जो विषय है उस विषय में अष्टम वर्ग का परीक्षाफल का प्रतिशत्।
(आंकड़े विगत तीन वर्षो का दें)

(VI) शिक्षक का जो विषय है उस विषय में कितने अष्टम वर्ग के कितने प्रतिशत् छात्र प्रथम श्रेणी / ग्रेड 'ए' से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।

(VII) विद्यालय का कुल पंचम / अष्टम वर्ग के परीक्षाफल का प्रतिशत

(VIII) प्राथमिक विद्यालय के कुल परीक्षाफल में कितने प्रतिशत् छात्रायें उत्तीर्ण हुई हैं।

(IX) शिक्षक का जो विषय है उस विषय में अष्टम वर्ग का परीक्षाफल का प्रतिशत

(X) शिक्षक का जो विषय है उस विषय में कितने अष्टम वर्ग के कितने प्रतिशत छात्र प्रथम श्रेणी / ग्रेड ए से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। (विगत तीन वर्षो का आंकडा दें)

(XI) प्रारंभिक विद्यालय के कुल परीक्षाफल में कितने प्रतिशत् छात्रायें हुई है। (विगत तीन वर्षो का आंकड़ा दें)

ख और ग का अन्तर

10 (क) क्या शिक्षक ने जनसहयोग प्राप्त कर विद्यालय का भौतिक विकास करवाया है।

(ख) सामुदायिक श्रोतों से विकास वर्ष 2002 और उसके बाद का हो (विवरण उसके पूर्व का नहीं हो)

1	2	3	4	5	6

11. (i) (क) शिक्षण हेतु नया प्रयोग किस–किस नये उपकरणें का प्रयोग किया।

(ख) शिक्षण को रूचिकर बनाने हेतु जन संचार का प्रयोग

(ग) प्रतिभाशाली एवं कमजोर छात्रों की संख्या (पूर्ण विवरण दें)

(घ) सह पाठ्यचर्या

(ड.) सेवाकालीन प्रशिक्षण/कार्यशालायें

(ii) शिक्षण पद्धति

(क) शिक्षक शिक्षण कार्य में किन–किन उपादानों का प्रयोग करते हैं।

(ख) विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर छात्रों के शिक्षण कार्य की क्या योजना बनाते हैं, गृह कार्य देते हैं या नही।

(ग) गत तीन वर्षो से नियमित क्लास लिए हैं या नहीं? उसका प्रतिशत क्या रहा है?

(घ) पाठ–टीका या योजना बनाते हैं या नहीं?
(तीन माह का योजना प्रस्तुत करें)

(ड.) कोर्स समय पर पूरा करते हैं या नहीं?

12. शिक्षक की व्यक्तिगत उपलब्धियाँ

(क) पुस्तक एवं लेख (पुस्तक एवं लेख की प्रति संलग्न करें)।

(ख) मान्यता एवं पुरस्कर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(ग) क्या शिक्षक ने विगत पाँच वर्षो में कोई पुरस्कार विद्यालय समुदाय या सरकार से प्राप्त किया है।

(घ) क्या शिक्षक ने कोई विशेष गतिविधि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिये किए हैं, अंकित करें।

13. विज्ञान मेला शिक्षक–अभिभावक मिलन खेलकूद, प्रतियोगिता जयन्ती वार्षिकत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि प्रत्येक के संबंध में निम्न सूचना दें:–

(क) (i) कितने संस्था/व्यक्ति भाग लिये:–

(ii) तिथि :–

(iii) उपलब्धि :–

(ख) सरकारी कार्यक्रमों यथा परिवार कलयाण, टीकाकरण, वृक्षारोपण आदि में योगदान दिया है तो उसके संबंध में:–

(i) कितने संस्था/व्यक्ति भाग लिये:–

(ii) तिथि :

(iii) उपलब्धि :–

(ग) राष्ट्रीय एकता धर्मनिरपेक्षता वैज्ञानिक दृटिकोण इत्यादि से संबंधित सेमिनार/सम्मेलन जो आयोजित किये गये प्रत्येक के संबंध में:–

(i) कितने संस्था/व्यक्ति भाग लिये:–

(ii) तिथि :–

(iii) उपलब्धि :–

(ध) एन0 सी0 सी0 :–

(i) कितने छात्र एन0 सी0सी0 में भाग लिये:–

(ii) विशेष उपलब्धि :–

(ड.) स्काउट/गाइड

(i) कितने छात्र भाग लिये:–

(ii) विशेष उपलब्धि :–

(च) कोई अन्य आयोजन का विवरणी दें :–

14. सरकार द्वारा विगत वर्ष में उपलब्ध कराया गए राशि/सामग्रियों के उपयोग के संबंध में।

वर्ष	विषय	राशि	समग्री	कितनी अवधि के बाद (प्राप्त होने के उपयोग वितरित किया गया)	अवशेष राशि/उपयोग में नहीं लाई गई सामग्री
1	2	3	4	5	6

15. निम्न के बीच शिक्षक की छवि :–

(क) छात्र :–

(ख) अभिभावक :–

(ग) अन्य :– शिक्षकगण

16. निम्न पदाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का सारांश :–

(क) बी0ई0ई0ओ0/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी

निरीक्षण की अन्तिम तिथि

सारांश

(ख) डी0 ई0 ओ0/डी0एस0ई0

निरीक्षण की तिथि

सारांश

(ग) आर०डी०डी०ई०

निरीक्षण की तिथि

सारांश

(घ) मुख्यालय के पदाधिकारी पदनाम

निरीक्षण की तिथि

सारांश

(ड.) जिला प्रशासन/अन्य पदनाम

निरीक्षण की तिथि

सारांश

नोट :– प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें।

17. अनुशासन :–

(1) अपने से ऊपर के पदाधिकारी एवं शिक्षक/प्रधानाध्यापक का कोई प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है।

(क) क्या शिक्षक को छात्र–छात्राओं का सम्मान प्राप्त है?

(ख) क्या शिक्षक विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखने के लिए कोई कदम उठाये हैं?

(ग) क्या शिक्षक ने अपने के साथ सहयोगी एवं बेहतर रिस्ता बनाने की कोशिश की है?

(घ) क्या समुदाय में उच्च आदर्श सम्मान प्राप्त है?

(ड.) क्या अभिभावक शिक्षक संघ में सहभागी होतें है?

(च) प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक का सामान्य मूल्यांकन –

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर

(2) अनुशासन

(क) क्या कभी स्पष्टीकरण पूछा गया है, यदि हां तो आरोप की प्रति तथा स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करें :–

(निलंबित किये गये हैं, यदि हाँ तो विवरण दें)

(ख) क्या कभी विभागीय दण्ड दिया गया है, यदि हाँ तो विवरण ?

(ग) क्या शिक्षक ने अपने के साथ सहयोगी एवं बेहतर रिस्ता बनाने की कोशिश की है?

(घ) क्या किसी फौजदारी मुकदमें में अभ्युक्त हैं तो विवरण दें।

(ड.) क्या कभी किसी विभागीय पदाधिकारी ने उनके विरूद्ध कभी प्रतिवेदन दिया है तो विवरण दें ।

(च) शिक्षक के विरूद्ध यदि कोई आरोप पत्र प्राप्त हुए हैं तो उनका विवरण दें ।

(छ) ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय शिक्षा समिति/प्रबंध समिति का प्रतिवेदन

(ज) क्या कभी ऐसा हुआ है कि शिक्षक को यदि स्थानान्तरण किया गया है और स्थानान्तरण स्थगित अथवा रद्द किया गया है।

(झ) क्या स्थानान्तरण आदेश का पालन एक महीने से अधिक अवधि तक नहीं किया गया?

(ट) क्या शिक्षक टियूशन पढ़ाते है :–

(ठ) राजनैतिक अथवा ट्रेड यूनियन कार्यकलापों में क्या शिक्षक भाग लेते हैं :–

(ड) शिक्षक ने जो–जो मुकदमेकिये हैं उसका विवरण दें।

केस संख्या	विषय	मुख्य प्रतिवादी	मुकदमा का परिणाम
1	2	3	4

(ढ) शिक्षक के विरूद्ध दायर किये गये मुकदमे का विवरण:–

केस संख्या	विषय	मुख्य प्रतिवादी	मुकदमा का परिणाम
1	2	3	4

(ण) क्या शिक्षक दूसरे शिक्षक एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध शिकायत करते रहने के आदि हैं यदि हाँ तो उसका विवरण दें :–

18. अधिनरथ कर्मचारियों / शिक्षकों / छात्रों के संबंध में

(क) कितने कर्मचारी / शिक्षक अधीन हैं:–

(ख) गत एक वर्ष में कितने स्पष्टीकरण मांगा गया है :–

(ग) कितनों के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही की गई अथवा उच्च पदाधिकारियों को प्रतिवेदन भेजे गयें :–

(घ) गत एक वर्ष में कितने छात्रों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है:–

19. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना में सरकारी अभिलेखों और अन्य जानकारी के आधार पर की है।

20. जिला समिति की अनुशंसा

जिला शिक्षा पदाधिकारी

21. राज्य समिति की अनुशंसा

MANDATE FORM

Electronic Clearing Service (Credit Clearing)/ Real Time Gross Settlement (RTGS) facility for receiving payments.

A. Details of Accounts Holders:-

Name of Account Holder	
Complete Contact Address	
Telephone Number/Fax/E-mail	

B. Bank Account Details:-

Bank Name	
Branch Name with Complete Address, Telephone No. and E-mail	
Whether the Branch is computerized?	
Whether the Branch is RTGS enabled? If yes then what is the Branch's IFSC Code	
Is the Branch also NEFT enabled?	
Type of Bank Account (SB/Current /Cash Credit)	
Complete Bank Account No. (Latest)	
MICR Code of Bank	

Date of effect:-

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information I would not hold the use Institution responsible. I have read the option invitation letter and agree to discharge responsibility expected of me as a participant under the Scheme.

Signature of Customer

Date

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

(Bank's Stamp)

Date:

Signature of Customer

1. **Please attach a photocopy of cheque along with the verification obtained from the bank.**
2. **In case your Bank Branch is presently not "RTGS enabled", then upon its up gradation to "RTGS Enabled" branch, please submit the information again in the above proforma to the Department at earliest.**